उत्तराखण्ड शासन,
आवास अनुभाग–2
संख्या– / v–2–आ0–2016–60(आ0) / 2015
देहरादून : दिनांक 22 अगस्त, 2016

अधिसूचना

चूंकि उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 14 की उपधारा (1) में धारा 3 के अधीन किसी क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित किये जाने के पश्चात उस क्षेत्र में विकास किये जाने, विकास कार्यवाही संचालित की जाने और विकास जारी रखने के लिए उपबंधो के अनुसरण में उप–चैयरमैन से लिखित अनुमति प्राप्त कर लेने के सिवाय प्रतिबंध है,

और चूंकि उक्त अधिनियम की धारा–53 में राज्य सरकार में सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा किसी भूमि अथवा भवन को अथवा भूमि अथवा भवन के किसी वर्ग को उक्त अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत निर्मित किसी नियम अथवा विनियम सभी अथवा किन्हीं उपबंधो से अवमुक्त करने की शक्ति निहित है,

और चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त अधिनियम की धारा 53 के अंतर्गत एकल आवासीय भवनों, फुटकर दुकानों एवं 1000 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड में सामुदायिक / स्वास्थ तथा पर्यटन से संबंधित एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार / स्थानीय निकाय / विद्युत आपूर्ति / जल आपूर्ति / जल–मल निस्तारण आदि परियोजनाओं के लिए आवश्यक एवं अपरिहार्य अवस्थापना सम्बंधी सुविधाओं तथा तत्सम्बंधी निर्माण कार्यो में सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति की आवश्यकता नही है,

अतः अब श्री राज्यपाल, अधिसूचना संख्या–794 / v–2–आ0–2016–60(आ0) / 2015, दिनांक 26.05.2016 के क्रम में भूमि का विकास, विकास कार्यवाही संचालित करने या जारी रखने की सूचना सक्षम प्राधिकारी, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून को निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की तारीख से न्यूनतम एक माह पूर्व दिये जाने की शर्त पर उक्तवत् छूट प्रदान किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्या– / v–2–आ0–2016–60(आ0) / 2015– तददिनांक।

प्रतिलिपि : संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित की कृपया इस अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–4 में प्रकाशित कराकर उसकी 20 प्रतियां आवास विभाग में तथा 20 प्रतियां उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव।

संख्या–1238(2) / v–2–आ0–2016–60(आ0) / 2015– तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– सचिव, गोपन (मन्त्रिपरिषद) अनुभाग को उनके पत्र संख्या–11.03.2016 के क्रम में।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल / कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी / नैनीताल।
3– मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
6– सचिव, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
7– वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
8– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
9– निजी सचिव, मा0 आवास मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
10– निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
11– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव।

198
24/8/16

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification NO. 1238 /v-2-awas-2016-60 (awas)/2015, Dated August, 2016

GOVERNMENT OF UTTARAKHAND
DEPARTMENT OF HOUSING
SECTION -2
NO: 1238/v-2-awas-2016-60 (awas)/2015
Dehradun : Dated 22 August, 2016

NOTIFICATION

WHEREAS under section 14 (1) after the declaration of any area as Development Area under Section 3 of the Uttarakhand Urban and Country Planning and Development Act, 1973, any development to be carried out, development proceedings to be operated upon, and for continuance of development, in the said development area, the same is not permissible except obtaining written permission from the Vice Chairman or the State Authority, as the case may be, in accordance with the provisions of the Act.

AND WHEREAS under section 53 of the said Act, the power to exempt any land or building or class of building from all or any of the provisions of the Act or rules or regulations, by way of notification in the Gazette, is vested in the State Government.

AND WHEREAS the State Government is satisfied that single residential units, retail shops and Community/ Health and Tourism activities in the plot measuring upto 1000 SqM and for the projects of Central/ State Government / Local Authority/ for Electricity Supply/ Water Supply/ Sewage Disposal etc. and construction works relating thereto which are necessary for establishment of infrastructural facilities and maintenance thereof, no permission shall be required from the Competent Authority as per Section 53 of the said Act.

Now therefore, the Governor, in continuation to Notification No. 794/V-2-Aa-2016-60 (Aa)/2015 dated 26.05.2016, is pleased to grant the exemption as aforesaid subject to giving information to the Competent Officer, Uttarakhand Housing and Urban Development Authority, Dehradun, one month prior from the date of commencement of the development work, for development of land, or for carrying out or continuance of development.

(R. MEENAKSHI SUNDARAM)
SECRETARY